

//कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ (म.प्र.)//

क्रमांक/

/लेखा./2023

झाबुआ, दिनांक

/12/2023

-:: परिपत्र ::-

कोरोना वायरस (COVID-19) के वर्तमान परिदृश्य(नवीन वेरियंट JN.1) से रोकथाम एवं सुरक्षा के संबंध में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा जारी सलाह एवं निर्देश के आलोक में जिला स्थापना/तहसील स्थापना थांदला एवं पेट्लावद पर पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारीगण/कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यालय/न्यायालय समय में मास्क तथा सेनेटाईजर का उपयोग करेंगे, जिससे कि कोविड-19(नवीन वेरियंट JN.1) से बचाव किया जा सके। उक्त निर्देश न्यायिक अधिकारीगण/कर्मचारीगण के स्वास्थ्य की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए माननीय रजिस्ट्री अथवा मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अन्य आदेश तक प्रभावशील रहेंगे ।

उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन किया जावे।

**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
झाबुआ(म.प्र.)**

पृष्ठां.क्रमांक/

/लेखा./2023

झाबुआ, दिनांक

/12/2023

प्रतिलिपि :-

1. न्यायिक अधिकारी.....(समस्त) न्यायिक जिला स्थापना झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
 2. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग झाबुआ/थांदला/पेट्लावद की ओर समस्त न्यायिक कर्मचारीगण को सूचित करवाकर, पालन प्रतिवेदन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- संलग्न :- कोविड-19 से बचाव के निर्देश।

**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
झाबुआ(म.प्र.)**